इकाई - II

सामाजिक संस्थाएँ : परिवार एवं नातेदारी

परिवार मानव समाज की पूर्णत: मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। यह एक प्राथमिक समूह है। **रॉल्फ लिण्टन** (Ralph Linton) ने कहा है कि माता-पिता और बच्चे का प्राचीन त्रित्व (Trinity) किसी अन्य मानव सम्बन्धों की अपेक्षा अधिकाधिक उतार-चढ़ावों के बावजूद विद्यमान रहा है। यह समस्त अन्य संरचनाओं का आधार स्तम्भ है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है—**प्रथम**, प्राथमिक आवश्यकताएँ अर्थात् ऐसी आवश्यकताएँ जो उसके जीवन-यापन के लिए प्रमुख हैं तथा **द्वितीय**, द्वितीयक आवश्यकताएँ अर्थात् वे आवश्यकताएँ जो उसके जीवन के लिए प्रमुख तो नहीं परन्तु वे भी अपना महत्त्व रखती हैं। परिवार इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए मानव समाज में परिवार की स्थिति केन्द्रीय होती है। सभी समाजों में परिवार की भाँति नातेदारी एवं विवाह सामाजिक जीवन के आधारभूत स्तम्भ माने जाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में परिवार एवं नातेदारी की सामाजिक संस्थाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

परिवार
[FAMILY]

समूहों या सदस्यों के सन्दर्भ में परिवार एक समिति है। परिवार को जब नियमों या कार्यपद्धतियों के सन्दर्भ में देखा जाता है तो यह एक संस्था है। परिवार को चाहे समिति के दृष्टिकोण से देखें या संस्था के, पर इस तथ्य पर दो मत नहीं हो सकते हैं कि परिवार समाज की महत्त्वपूर्ण मौलिक एवं सार्वभौम इकाई है। परन्तु सभी समाजों में परिवार का एक ही रूप प्रचलित नहीं है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी समाजों में एकाकी परिवार या दाम्पत्य परिवार (Conjugal family) की प्रधानता है, जबकि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार की। सामाजिक जीवन को बनाने एवं समाजीकरण में परिवार की विशेष भूमिका है। इसी कारण **चार्ल्स कूले** ने परिवार को एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिक समूह माना है।

परिवार का अर्थ
(Meaning of Family)

व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी शब्द **'परिवार'**, आंग्ल भाषा के **'फैमिली'** (Family) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। यह लैटिन भाषा के **'फैमुलस'** *(Famulus)* शब्द से बना है। 'फैमुलस' का लैटिन भाषा में अर्थ है—एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य (अर्थात् माता-पिता, सन्तान, यहाँ तक की नौकर तथा गुलाम इत्यादि) आ जाते हैं। जैविक दृष्टि से परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री एवं पुरुष को पति एवं पत्नी के रूप में यौन सम्बन्ध की स्थापना एवं प्रजनन (सन्तान उत्पत्ति) हेतु समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार को स्त्री एवं पुरुष का एक ऐसा समूह कहा जा सकता है जो विवाह सम्बन्धों, रक्त सम्बन्धों या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य सम्बन्धों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा एक 'घर' के रूप में पहचाने जाते हैं।

परिवार की परिभाषाएँ
(Definitions of Family)

परिवार की एक संक्षिप्त, स्पष्ट व समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। कुछ विद्वानों ने परिवार को एक समूह के रूप में, कुछ ने एक समिति के रूप में, कुछ ने एक संस्था

के रूप में तथा कुछ अन्य विचारकों ने इसे सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वानों ने परिवार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है—

(1) बर्गेस एवं **लॉक** (Burgess and Locke) के अनुसार—"परिवार व्यक्तियों का एक समूह है, जो विवाह, रक्त एवं गोद लेने वाले सम्बन्धों से जुड़े होते हैं, जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री तथा भाई-बहन के रूप में अपनी-अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाते हुए, एक-दूसरे से अन्त:संचार तथा अन्तर्क्रिया करते रहते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं।"[1]

(2) ऑगबर्न एवं **निमकॉफ** (Ogburn and Nimkoff) के अनुसार—"परिवार पति और पत्नी की सन्तान रहित या सन्तान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित, कम या अधिक स्थायी, समिति है।"[2]

(3) मैकाइवर एवं **पेज** (MacIver and Page) के अनुसार—"परिवार पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन सम्बन्ध द्वारा परिभाषित एक समूह है, जो प्रजनन (बच्चों के जन्म) तथा बच्चों के पालन-पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है।"[3]

(4) इलियट एवं **मैरिल** (Elliott and Merrill) के अनुसार—"परिवार को पति-पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक सामाजिक संस्था भी है और समाज द्वारा मान्य एक ऐसा संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।"[4]

परिवार की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य विवाह, रक्त या विधिवत् गोद लिए जाने के द्वारा मान्य सम्बन्धों के परिणामस्वरूप परस्पर जुड़े होते हैं। उनमें परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सेवा और त्याग की भावना पाई जाती है। वस्तुत: परिवार को तीन परिप्रेक्ष्यों द्वारा देखा गया है—**संरचनावादी** (Structuralist) विद्वान् परिवार को ऐसे सम्बन्धों की संरचना के रूप में देखते हैं जिसमें अन्तर्सम्बन्धित प्रस्थितियों व भूमिकाओं तथा सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकारों व उत्तरदायित्वों की व्यवस्था पाई जाती है। **प्रकार्यवादी** (Functionalist) परिवार को एक ऐसी इकाई मानते हैं जिसके सदस्यों में प्रकार्यात्मक सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा यह देखने का प्रयास करते हैं कि परिवार सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या योगदान देता है। **अन्तर्क्रियावादी** (Interactionist) परिवार को सदस्यों के बीच पाई जाने वाली परस्पर अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया की व्यवस्था के रूप में देखते हैं तथा परिवार की संरचना एवं भूमिकाओं की विविधताओं को समझने का प्रयास करती हैं।

परिवार की विशेषताएँ
(Characteristics of Family)

यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवार की प्रकृति एवं स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है, परन्तु निम्नलिखित कतिपय प्रमुख विशेषताएँ प्रत्येक प्रकार के परिवार में पाई जाती हैं—

(अ) सामान्य विशेषताएँ
(General Characteristics)

परिवार की सामान्य विशेषताएँ अग्रांकित हैं—

1. "A family is a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption, constituting a single household, interacting and intercommunicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common culture."
—E. W. Burgess and H. J. Locke, **The Family**, p. 8.

2. "When we think of family we picturise it as a more or less durable association of husband and wife, with or without children or of a man or woman alone with children."
—W. F. Ogburn and M. F. Nimkoff, **A Handbook of Sociology**, p. 182.

3. "The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children."
—R. M. MacIver and C. H. Page, **Society : An Introductory Analysis**, p. 238.

4. "The family may be defined as the biological social unit composed of husband, wife and their children. The family may also be considered as a social institution, a socially approved organization for meeting definite human needs." —M. A. Elliott and F. E. Merrill, **Social Disorganization**, p. 329.

(1) सार्वभौमिकता (Universality)—परिवार एक ऐसा समूह है जो सभी समाजों एवं सभी युगों में पाया जाता है। आज भी समाज चाहे सभ्य हो, चाहे आदिम, परिवार किसी-न-किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। **मरडॉक** (Murdock) ने पूरे विश्व में 250 जनजातीय समाजों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया है कि परिवार विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है।

(2) विवाह सम्बन्ध (Mating relationship)—परिवार का उद्‌भव स्त्री-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों से होता है। अत: विवाह परिवार के निर्माण का प्रथम आधार है। मरडॉक ने विवाह द्वारा यौन व्यवहार पर नियन्त्रण एवं प्रजनन को परिवार का मौलिक कार्य माना है।

(3) विभिन्न स्वरूप (Different forms)—परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह के रूप में सम्भव है। यह भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न होता है।

(4) वंश नाम या नामावली की व्यवस्था (System of nomenclature)—प्रत्येक परिवार में वंश नाम की एक व्यवस्था पाई जाती है। वंश नाम मातृवंशीय अथवा पितृवंशीय हो सकता है।

(5) सामान्य निवास (Common residence)—सामान्यत: परिवार का एक निश्चित निवास अथवा घर होता है अर्थात् परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं।

(6) सामाजिक संरचना में केन्द्रीय स्थिति (Nuclear position in the social structure)—समाज की संरचना परिवार पर ही निर्भर है। इसका कारण यह है कि परिवार ही नए सदस्यों के जन्म तथा उन्हें समाज के अनुसार सामाजिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव किस सीमा तक समाज के ढंग, मान्यताओं या कार्यप्रणाली को अपनाएगा, यह सभी परिवार पर ही निर्भर करता है।

(ब) विशिष्ट विशेषताएँ
(Distinctive Characteristics)

परिवार की कुछ कतिपय विशिष्ट विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

(1) भावात्मक आधार (Formative basis)—परिवार के सभी सदस्य भावनाओं में बँधे हुए हैं। ये सम्बन्ध भाई-बहन, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माँ-पुत्री या किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इस कारण व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रश्रय नहीं मिलता है। सभी सदस्यों के सामने पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा शक्ति का लक्ष्य रहता है। नि:स्वार्थ स्नेह, प्रेम एवं वात्सल्य केवल परिवार में ही पाया जाता है।

(2) रचनात्मक प्रभाव (Constructive influence)—**कूले** (Cooley) ने परिवार को प्राथमिक समूह कहा है क्योंकि मानव का जन्म तथा विकास परिवार में ही होता है। परिवार के द्वारा ही मानव के चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार के ढंग आदि का निर्माण होता है। परिवार का लक्ष्य सभी सदस्यों को समान लाभ पहुँचाना है। यह व्यक्तित्व के विकास में अपना निर्माणात्मक प्रभाव डालता है तथा समाज के विचारों, विश्वासों तथा मूल्यों का विकास बच्चों में करता है।

(3) सदस्यों का उत्तरदायित्व (Responsibility of members)—परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिति तथा भूमिका निश्चित होती है। परिवार के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े-से-बड़ा त्याग करने से नहीं हिचकते हैं। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति निजी स्वार्थ को कोई महत्त्व नहीं देता।

(4) सीमित आकार (Limited size)—परिवार छोटा हो या बड़ा, इसका आकार सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है। **बर्गेस** एवं **लॉक** (Burgess and Locke) के अनुसार परिवार की सदस्यता जन्म, विवाह तथा गोद लेने से ही मिलती है। इसी कारण, परिवार का आकार छोटा होता है।

(5) सामाजिक नियमन (Social regulation)—व्यक्ति साधारणत: परिवार की प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, संस्कारों आदि का उल्लंघन नहीं करता। परिवार अपने सदस्यों को समाज के अनुरूप बनाता है। वह उन्हें इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे समाज के नियमों को मानें। मनुष्य को व्यवहार, शिक्षा, धर्म, कर्त्तव्य-बोध आदि अनेक सामाजिक तथ्यों का ज्ञान परिवार से ही होता है।

(6) स्थायी व अस्थायी प्रकृति (Permanent and temporary nature)—परिवार समिति भी है और संस्था भी। सदस्यों के आधार पर परिवार एक समिति है व अस्थायी है। नियमों तथा कार्यप्रणालियों के रूप में परिवार एक स्थायी संस्था है।

परिवार के प्रकार
(Types of Family)

परिवार को मुख्यत: पाँच प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आधार एवं उनके अनुरूप परिवार के प्रकार निम्नलिखित हैं—

(अ) अधिकार (सत्ता) के आधार पर परिवार के प्रकार
(Types of Family on the Basis of Authority)

अधिकार के आधार पर परिवार निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं—

(1) मातृसत्तात्मक परिवार (Matriarchal family)—जिस परिवार का नियन्त्रण माँ अथवा पत्नी में केन्द्रित होता है उस परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। **ब्रिफाल्ट** ने माता के स्थान को अधिक महत्त्वपूर्ण बतलाया है।

मैकाइवर एवं **पेज** ने मातृसत्तात्मक परिवार की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(i) वंश का नाम माता से चलता है, पिता से नहीं,

(ii) सामान्यत: बच्चों का लालन-पालन माता के घर होता है। विवाह के बाद पति को पत्नी के निवास स्थान पर रहना पड़ता है तथा पति का स्थान द्वितीयक होता है,

(iii) पारिवारिक सत्ता स्त्री या पत्नी-पक्ष के किसी पुरुष के हाथ में होती है तथा

(iv) सम्पत्ति का अधिकार माता द्वारा पुत्रियों को प्राप्त होता है।

विशेष पद भी स्त्री की मृत्यु के बाद, स्त्री के भाई के पुत्र को ही मिलेगा, पुत्र को नहीं। असम के **खासी,** मालाबार के **नायर** आदि लोगों में इस प्रकार के मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं।

(2) पितृसत्तात्मक परिवार (Patriarchal family)—इसमें परिवार की सत्ता अथवा बागडोर पिता अथवा पुरुष के हाथ में होती है। पितृसत्तात्मक परिवारों में वंशनाम पिता से चलता है। सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा दलजा-फरात की सभ्यता में भी परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप प्रचलित था।

पितृसत्तात्मक परिवारों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

(i) वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है,

(ii) विवाह के बाद स्त्री (पत्नी) पति के घर में आकर रहती है, बच्चों का पालन-पोषण भी पति के घर में ही होता है,

(iii) पिता परिवार का सर्वोच्च कर्त्ता होता है तथा

(iv) सम्मान एवं सम्पत्ति का हस्तान्तरण पिता से उसके पुत्रों को होता है।

(ब) विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार
(Types of Family on the Basis of Marriage)

विवाह के आधार पर परिवार के तीन प्रकार हो सकते हैं—

(1) एक विवाही परिवार (Monogamous family)—इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। इसमें दोनों पक्ष बिना तलाक या किसी एक की मृत्यु तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। परिवार का यह स्वरूप आज संसार में सर्वाधिक प्रचलित है।

(2) बहुपत्नी विवाही परिवार (Polygynous family)—ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होते हैं। इनमें एक ही समय में एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है। हमारे समाज में हिन्दुओं में वैधानिक रूप से ऐसे परिवारों का संगठन समाप्त किया जा चुका है। मुसलमानों में बहुपत्नी विवाही परिवारों का वैधानिक रूप से आज भी प्रचलन है।

(3) बहुपति विवाही परिवार (Polyandrous family)—इस प्रकार के परिवार में स्त्री एक ही समय में अनेक पुरुषों से विवाह करती है। कभी-कभी ये पुरुष आपस में भाई भी होते हैं। अत्यन्त संघर्षपूर्ण तथा निर्धन जीवन के कारण बहुपति विवाही परिवार का जन्म होता है। इस प्रकार के परिवार अधिकतर मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय होते हैं।

(स) निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार
(Types of Family on the Basis of Residence)

निवास स्थान के आधार पर परिवार निम्नांकित चार प्रकार के होते हैं—

(1) मातृस्थानीय परिवार (Matrilocal family)—इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात् पति स्थायी रूप से या आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के साथ या पत्नी के परिवार के साथ रहता है। ये परिवार **खासी, गारो** तथा मालाबार के **नायरों** में प्राय: पाए जाते हैं।

(2) पितृस्थानीय परिवार (Patrilocal family)—सामान्यत: विवाह के पश्चात् पत्नी, पति के यहाँ या पति के परिवार में निवास करती है। हिन्दुओं में अधिकतर पितृस्थानीय परिवार ही पाए जाते हैं।

(3) नवस्थानीय परिवार (Neo-local family)—इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात् नव-दम्पति अपने-अपने परिवारों से पृथक् अपना एक नया परिवार बसा लेते हैं। पश्चिमी देशों में नवस्थानीय परिवारों का अधिक प्रचलन है।

(4) मातुलस्थानीय परिवार (Avunculocal family)—इस प्रकार के परिवार में विवाहित लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने मामा के घर निवास करने लगता है। इस प्रकार वह अपने माता-पिता से दूर हो जाता है। मेलनेशिया की कुछ जनजातियों में परिवार का यह रूप प्रचलित है।

(द) वंश या नामावली के आधार पर परिवार के प्रकार
(Types of Family on the Basis of Nomenclature)

वंश के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं—

(1) मातृवंशीय परिवार (Matrilineal family)—इसके अन्तर्गत वंश का नाम माता के नाम से चलता है। इसमें वंश परम्पराएँ, उत्तराधिकार के नियम आदि भी माता के नाम से ही चलते हैं। सम्पत्ति पर अधिकार माता के पश्चात् पुत्री को प्राप्त होता है।

(2) पितृवंशीय परिवार (Patrilineal family)—इस प्रकार के परिवार में पुरुषों की प्रधानता होती है। वंश का नाम पिता के नाम से चलता है। उत्तराधिकार के नियम एवं वंश परम्पराएँ भी पिता के नाम से चलती हैं। सम्पत्ति का हस्तान्तरण पिता से पुत्र को होता है।

(क) सदस्यों की संख्या और संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार
(Types of Family on the Basis of Number of Members and Structure)

सदस्यों की संख्या तथा परिवार की संरचना के आधार पर परिवार को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) केन्द्रीय या एकाकी परिवार (Nuclear family)—इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी तथा उनकी अविवाहित सन्तानें ही होती हैं। **मरडॉक** के अनुसार एकाकी परिवार विवाहित पुरुष तथा स्त्री व उनकी सन्तानों से बनता है, यद्यपि कुछ व्यक्तिगत स्वरूपों में इसमें एक या अधिक व्यक्ति रह सकते हैं। अमेरिका तथा यूरोप में इस प्रकार के परिवारों का बहुत अधिक प्रचलन है।

(2) संयुक्त परिवार (Joint family)—संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं। वे सामान्य सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा परस्पर एक-दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार के परिवार में अधिकतर सदस्य एक साथ रहते हैं। इस कारण परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। **आई० पी० देसाई** (I. P. Desai) के अनुसार, ''हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों (तीन या उससे अधिक) के सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो एक-दूसरे से सम्पत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्त्तव्यों द्वारा बँधे होते हैं।''[5] संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार (Extended family)

5. "We call that household a joint family which has greater generation depth (i.e. three or more) than the nuclear family and the members of which are related to one another by property, income and the mutual rights and obligations." —I. P. Desai, "The Joint Family in India" in **Sociological Bulletin**, 1956, p. 148.

की संज्ञा भी दी जाती है। विस्तृत परिवार पीढ़ियों एवं सदस्यों की संख्या की दृष्टि से संयुक्त परिवार से बड़े होते हैं।

परिवार के कार्य
(Functions of Family)

परिवार का समाज में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य कारण इसके द्वारा विविध प्रकार के कार्यों का निष्पादन है। **ऑगबर्न** एवं **निमकॉफ** (Ogburn and Nimkoff) ने कहा है कि किसी भी संस्कृति में परिवार के महत्त्व का मूल्यांकन करने के लिए यह ज्ञात करना आवश्यक है कि उसके क्या कार्य हैं तथा किस सीमा तक उन्हें पूर्ण किया जाता है।

प्रमुख विद्वानों ने एकाकी परिवार के कार्यों की विवेचना निम्नांकित रूप से की है—

(अ) रीड (Reed) के अनुसार

(1) वंश वृद्धि (Race perpetuation),
(2) समाजीकरण (Socialization),
(3) यौन इच्छा का नियमन व सन्तुष्टि (Regulation and satisfaction of sexual needs) तथा
(4) आर्थिक कार्य (Economic functions)।

(ब) बीरस्टीड (Bierstedt) के अनुसार

समाज के लिए परिवार के कार्य

1. प्राणियों का पुनरोत्पादन (Replacement of species),
2. यौन सम्बन्धों पर नियन्त्रण (Sexual control),
3. भरण-पोषण (Maintenance),
4. सांस्कृतिक संचरण (Cultural transmission) तथा
5. प्रस्थिति आरोपण (Status ascription)।

व्यक्ति के लिए परिवार के कार्य

1. जीवन तथा उत्तर जीवन (Life and survival),
2. यौनिक अवसर (Sexual opportunity),
3. सुरक्षा व सहायता (Protection and support),
4. समाजीकरण (Socialization) तथा
5. सामाजिक तादात्म्य (Social identification)।

(स) ऑगबर्न (Ogburn) के अनुसार

(1) स्नेह व प्रेम सम्बन्धी कार्य (Affectional functions),
(2) आर्थिक कार्य (Economic functions),
(3) मनोरंजनात्मक कार्य (Recreational functions),
(4) रक्षा सम्बन्धी कार्य (Protective functions) तथा
(5) शिक्षा सम्बन्धी कार्य (Educational functions)।

(द) डेविस (Davis) के अनुसार

(1) सन्तानोत्पत्ति (Reproduction),
(2) अवयस्क बच्चों का पालन-पोषण (Maintenance of immature children),
(3) स्थान निर्धारण (Placement) तथा
(4) समाजीकरण (Socialization)।

(य) लुण्डबर्ग (Lundberg) के अनुसार

(1) यौन व्यवहार का नियमन एवं प्रजनन (Regulation of sex behaviour and reproduction),
(2) बच्चों का लालन-पालन एवं समाजीकरण (Upbringing of the children and socialization),

(3) सहयोग एवं श्रम-विभाजन (Co-operation and division of labour) तथा

(4) बुनियादी सामूहिक जीवन की सन्तुष्टि (Satisfaction of basic group life)।

(र) मेटा स्पेन्सर (Metta Spencer) के अनुसार

(1) यौन व्यवहार एवं प्रजनन प्रक्रिया का नियन्त्रण (Regulation of sexual behaviour and reproduction),

(2) समाजीकरण (Socialization),

(3) सुरक्षा (Protection) तथा

(4) स्नेह (Affection)।

(ल) हॉर्टन एवं हण्ट (Horton and Hunt) के अनुसार

(1) यौन नियन्त्रण प्रकार्य (Sexual regulation function),

(2) प्रजनन प्रकार्य (Reproductive function),

(3) समाजीकरण प्रकार्य (Socialization function),

(4) स्नेहात्मक प्रकार्य (Affectional function),

(5) सामाजिक प्रस्थिति निर्धारण सम्बन्धी प्रकार्य (Status and role determining function),

(6) सुरक्षात्मक प्रकार्य (Protective function) तथा

(7) आर्थिक प्रकार्य (Economic function)।

(व) मैकाइवर एवं पेज (MacIver and Page) के अनुसार

(1) अनिवार्य प्रकार्य—इसके उदाहरण यौन सम्बन्धों की स्थायी पूर्ति, सन्तानोत्पत्ति व उसका पालन-पोषण, एक घर का प्रावधान आदि हैं।

(2) गैर-अनिवार्य कार्य—इसके उदाहरण शासकीय कार्य, धार्मिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य व मनोरंजनात्मक कार्य आदि हैं।

परिवार के कार्यों की विवेचना निम्नलिखित दो श्रेणियों में की जा सकती है—

(अ) मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य
(Basic and Universal Functions)

ये मौलिक कार्य संसार के समस्त देशों के परिवारों में पाए जाते हैं। इन्हें हर परिवार के प्राणिशास्त्रीय कार्य (Biological functions) भी कह सकते हैं। ये कार्य निम्नांकित हैं—

(1) यौन इच्छाओं की पूर्ति का कार्य (Function of satisfying sex needs)—परिवार विवाह की संस्था के माध्यम से स्त्री व पुरुष को पत्नी व पति के रूप में यौन सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार यह उनकी प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता (यौन सन्तुष्टि) की पूर्ति करने में सहायता देता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह न कर यौन सम्बन्ध स्थापित करता है तो ऐसा करना उचित नहीं समझा जाता है।

(2) सन्तानोत्पत्ति (Reproduction)—समाज की निरन्तरता के लिए यह आवश्यक है कि समाज में नए सदस्यों का जन्म हो। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को परिवार सन्तानोत्पत्ति द्वारा करता है।

(3) सुरक्षा (Safety)—मनुष्य समस्त जीवधारियों में एक ऐसा प्राणी है जिसे जन्म से लेकर काफी वर्षों तक दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। यदि उसे यह सहायता न मिले तो वह समाप्त हो जाएगा। यह सहायता परिवार अपने सदस्यों को सुरक्षा के रूप में देता है। परिवार निश्चित आयु तक उनका भरण-पोषण करके उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे भौगोलिक तथा सामाजिक पर्यावरण में रह सके। सुरक्षा की प्रकृति मात्र प्राणिशास्त्रीय ही नहीं, अपितु मानसिक भी होती है।

(ब) परम्परागत कार्य
(Traditional Functions)

ये वे कार्य हैं जिनका निर्धारण समाज विशेष की प्रथाओं व मान्यताओं द्वारा होता है। परम्परागत कार्यों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं—

(1) सामाजिक कार्य (Social Functions)—परिवार के प्रमुख सामाजिक कार्य अग्रांकित हैं—

(i) सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करना (To provide social status)—परिवार अपने सदस्यों की प्रस्थिति (स्थिति) तथा भूमिकाएँ (कार्य) स्पष्ट करता है। इस प्रकार परिवार सामाजिक संरचना में उनका पद स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है।

(ii) समाजीकरण (Socialization)—समाजीकरण में परिवार का योगदान महत्त्वपूर्ण है। परिवार में मानव का जन्म होता है और पूरा जीवन इसी में व्यतीत होता है। इसे बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। इसी के माध्यम से सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक दुनिया से उसका परिचय कराया जाता है। परिवार मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों (यथा लोभ, क्रोध व हिंसा आदि) को नियन्त्रित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) सामाजिक नियन्त्रण (Social control)—परिवार अपने सदस्यों को शिशुकाल से ही सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यह समाजीकरण द्वारा उनका व्यक्तित्व इस प्रकार ढालता है कि वे समाज विरोधी कार्यों से दूर रहें तथा समाज की प्रगति में योगदान दें।

(iv) मनोरंजन (Recreation)—परिवार अनौपचारिक एवं प्राकृतिक मनोरंजन का केन्द्र है। परिवार सदस्यों को विविध प्रकार से मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है; जैसे—आपस के वार्तालाप से या बच्चों की तोतली बोली से। त्योहार के समय सब इकट्ठे होकर भी मनोरंजन करते हैं। कई बार अकेले दादी के पास बैठे कहानी सुनकर भी बच्चों का मनोरंजन होता है।

(v) शैक्षणिक कार्य (Educational functions)—**प्लेटो** ने परिवार को जीवन की प्रारम्भिक पाठशाला कहा है। यहाँ पर जो पाठ उसे पढ़ाया जाता है वह जीवन भर अमिट रहता है। यह अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम है।

(2) आर्थिक कार्य (Economic Functions)—परिवार निम्नलिखित आर्थिक कार्यों को भी सम्पादित करता है—

(i) उत्पादक इकाई (Production unit)—आदिम तथा कृषि प्रधान समाजों में परिवार एक प्रमुख उत्पादक इकाई है। कुटीर उद्योगों में भी परिवार को एक महत्त्वपूर्ण उत्पादन इकाई माना जाता है।

(ii) श्रम-विभाजन (Division of labour)—सभी परिवारों में श्रम-विभाजन पाया जाता है। श्रम-विभाजन के दो प्रमुख आधार हैं—(अ) आयु तथा (ब) लिंग। जिस प्रकार प्रत्येक परिवार में बच्चे, युवक व वृद्ध के कार्यों में अन्तर मिलता है ठीक उसी प्रकार स्त्री और पुरुष के कार्यों में भिन्नता पाई जाती है।

(iii) उत्तराधिकार की व्यवस्था (System of inheritance)—परिवार उन नियमों को बनाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वंशानुगत सम्पत्ति प्राप्त हो सके। यदि यह उत्तराधिकार के नियमों की व्यवस्था न हो तो जिसके पास अधिक अधिकार तथा शक्ति होगी वही सारी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लेगा।

(iv) सम्पत्ति (Property)—प्रत्येक परिवार का अपनी सम्पत्ति पर नियन्त्रण होता है। सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल, उसका सही ढंग से बँटवारा परिवार ही करता है। परिवार ही यह निश्चित करता है कि कौन सम्पत्ति का स्वामी होगा।

(3) मनोवैज्ञानिक कार्य (Psychological Functions)—परिवार सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रमुख माध्यम है। यह निम्नलिखित तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक कार्यों का सम्पादन भी करता है—

(i) व्यक्तित्व का विकास (Development of personality)—परिवार बच्चों की ठीक प्रकार से देख-रेख करके उनमें अहम् का विकास करता है। अहम् उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। बच्चों का व्यक्तित्व परिवार पर निर्भर करता है।

(ii) मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना (To provide psychological security)—परिवार अपने सदस्यों में पारस्परिक प्रेम एवं सद्भावना का विकास करके उन्हें वात्सल्य प्रदान करता है। परिवार असहाय एवं अपंग बच्चों को भी पूर्ण मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह उन्हें कोई कठिन कार्य नहीं सौंपता। हर प्रकार से भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(iii) मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति (Satisfaction of basic psychological needs)—परिवार अपने सदस्यों की मौलिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ (जैसे स्नेह एवं प्रेम इत्यादि) भी पूरी करता है। वास्तव में, व्यक्ति की अधिकांश आवश्यकताएँ परिवार में ही पूरी होती हैं।

(4) धार्मिक कार्य (Religious Functions)—परिवार धार्मिक कार्यों के सम्पादन में विशेष स्थान रखता है। प्रत्येक परिवार में किसी-न-किसी धर्म को महत्त्व दिया जाता है। परिवार में ही मानव किसी-न-किसी धर्म को मानता है तथा उसका अनुयायी बनता है। परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक विश्वासों, मूल्यों व दृष्टिकोणों से परिचित कराता है। माता-पिता के धार्मिक विचारों एवं दृष्टिकोणों का भी बच्चों के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है।

(5) सांस्कृतिक कार्य (Cultural Functions)—प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। परिवार संस्कृति के हस्तान्तरण का भी प्रमुख माध्यम है। परिवार सांस्कृतिक कार्यों की शिक्षा अपने सदस्यों को देता है। परिवार समाज के रीति-रिवाजों, नियमों, परम्पराओं व जनरीतियों आदि को सुरक्षित रखता है। परिवार अपनी संस्कृति से सम्बन्धित आदर्शों, प्रथाओं व परम्पराओं को बच्चों को सिखाता है।

(6) राजनीतिक कार्य (Political Functions)—परिवार का राजनीतिक कार्यों के सम्पादन में भी प्रमुख स्थान है। **मजूमदार** का कथन है कि कर्त्ता परिवार का वास्तविक शासक होता है। वही सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करता है। परिवार जिस प्रकार समाज की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार वह राज्य की भी सबसे छोटी इकाई है। इसीलिए परिवार को कभी-कभी लघु राज्य की संज्ञा दी जाती है। परिवार मनुष्यों में उन गुणों का विकास करता है, जिससे वह राजनीतिक जीवन में भी सफल हो सके। अच्छे नागरिक के लिए अनुशासन, समानता एवं मित्रता आदि के भावों को जानना अत्यन्त आवश्यक है। इन महत्त्वपूर्ण गुणों का विकास परिवार में ही होता है।

नातेदारी
[KINSHIP]

सभी समाजों में नातेदारी एवं विवाह सामाजिक जीवन के आधारभूत स्तम्भ हैं। प्रत्येक समाज में सदस्य विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों द्वारा अनेक समूहों के रूप में परस्पर बँधे रहते हैं। इन सम्बन्धों में से अत्यन्त सार्वभौमिक एवं अत्यधिक आधारभूत सम्बन्ध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं और इन सम्बन्धों को ही नातेदारी व्यवस्था (**बन्धुत्व प्रथा** अथवा **स्वजनता प्रथा**) कहा जाता है। **रॉबिन फॉक्स** (Robin Fox)[6] के अनुसार सामाजिक संरचना के एक रूप में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन वकीलों एवं तुलनात्मक विधिशास्त्र (Jurisprudence) के छात्रों द्वारा प्रारम्भ किए गए तथा सम्भवत: इसी कारणवश आज नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन कानूनी संज्ञायों; जैसे—अधिकार, कर्त्तव्य, अनुबन्ध, पितृ-बन्धुता या सपिण्डता तथा नियम-नेगम इत्यादि से भरपूर है। इसका कारण अत्यन्त सरल है और वह उत्तराधिकार (Inheritance), अनुक्रमण (Succession) तथा विवाह से सम्बन्धित है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति उसके नातेदारों को उत्तराधिकार में देने की अपनी परम्पराएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता की सम्पत्ति अधिकतर समाजों में उसके लड़कों को उत्तराधिकार में मिलती है। अगर सम्पत्ति नजदीकी नातेदारों को हस्तान्तरित की जानी है तो यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पड़ेगा कि कौन-से नातेदार नजदीकी नातेदारों की श्रेणी में आते हैं और समान नजदीकी नातेदारों में भी किसे अधिक या कम प्राथमिकता दी जाती है। केवल वकीलों एवं विधिशास्त्र के छात्रों ने ही नहीं अपितु समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानवशास्त्रियों ने भी नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक संरचना के एक स्वरूप के रूप में किया है तथा वे भी अपने आप को विधिशास्त्र के प्रभाव से बचा नहीं पाए हैं। उदाहरणार्थ, **रैडक्लिफ-ब्राउन** (Radcliffe-Brown) का नातेदारी का अध्ययन नातेदारों के कर्त्तव्यों एवं अधिकारों से पर्याप्त रूप में सम्बन्धित है। परिवार नातेदारी की ही एक इकाई है।

नातेदारी का अर्थ
(Meaning of Kinship)

नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धों की व्यवस्था से है जो कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर सम्बन्धित हैं अर्थात् विवाह या रक्त सम्बन्धों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति (नादेतार) नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिन्हें रक्त सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध के कारण नातेदार या सम्बन्धी माना जाता है।

6. रॉबिन फॉक्स, **नातेदारी एवं विवाह** (हिन्दी अनुवाद, अनुवादक : रामकृष्ण बाजपेयी), पृष्ठ 8.

समाजशास्त्र में रक्त सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए तकनीकी शब्द 'समरक्तता' (Consanguinity) का प्रयोग किया जाता है, जबकि विवाह से होने वाले सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए 'विवाहमूलक सम्बन्ध' (Affinity) का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए—माता और पुत्र/पुत्री, बहन और भाई/बहन, पिता और पुत्र/पुत्री के बीच समरक्त सम्बन्ध है, जबकि श्वसुर/सास और वधू/दामाद के बीच विवाहमूलक सम्बन्ध है। **विनिक** (Winick) ने ***मानवशास्त्रीय शब्दकोश*** *(Dictionary of Anthropology)* में नातेदारी व्यवस्था को इन शब्दों में परिभाषित किया है, ''नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सम्बन्ध आ सकते हैं जो अनुमानित और रक्त सम्बन्धों पर आधारित होते हैं।''[7]

जैविक दृष्टि से 'नातेदारी' शब्द का अभिप्राय आनुवंशिकता द्वारा बँधे सम्बन्धियों से है। **रिवर्स** (Rivers) ने नातेदारी को इसी रूप में समझाने का प्रयास किया है। कानूनी एवं सामाजिक दृष्टि से मान्य वैवाहिक सम्बन्धों से सम्बन्धित सम्बन्धियों को विवाहमूलक नातेदार एवं रक्त सम्बन्धों पर आधारित नातेदारों को रक्तमूलक नातेदार कहा जाता है। **रॉबिन फॉक्स** ने नातेदारी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया है।

एस० एल० शर्मा[8] ने **इरावती कर्वे** की पुस्तक *Kinship Organization in India* के हिन्दी अनुवाद के पुनरीक्षक के रूप में बन्धुत्व व्यवस्था के दो पक्ष बताए हैं—(i) आन्तरिक पक्ष तथा (ii) बाह्य पक्ष। रक्त सम्बन्धों की व्यवस्था नातेदारी का आन्तरिक पक्ष है, जबकि विवाह सम्बन्धों की व्यवस्था इसका बाह्य पक्ष है।

नातेदारी की परिभाषाएँ
(Definitions of Kinship)

नातेदारी की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) रॉबिन फॉक्स (Robin Fox) के अनुसार—''नातेदारी की अत्यन्त सामान्य परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात् वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध है।''[9]

(2) एस० सी० दुबे (S. C. Dube) के अनुसार—''मानव समाज में जन्म अथवा विवाह के आधार पर परिवारों के सदस्य सम्बन्ध और व्यवहार की दृष्टि से एक-दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण कुछ प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों की सृष्टि होती है। इस विशिष्ट, सुव्यवस्थित सम्बन्ध-शृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को हम नातेदारी कहते हैं।''[10]

(3) मजूमदार एवं **मदन** (Majumdar and Madan) के अनुसार—''सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों के आधार पर कई समूहों के रूप में एक-दूसरे के साथ बँधे रहते हैं। इन सम्बन्धों में से अत्यन्त सार्वभौमिक एवं अत्यधिक आधारभूत सम्बन्ध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन सहज मानवीय अन्तर्नोद (ड्राइव) पर आधारित इन सम्बन्धों को नातेदारी कहा जाता है।''[11]

(4) एस० एल० शर्मा (S. L. Sharma) के अनुसार—''नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर सम्बन्धों को नियमित करती है। ये स्वजन वास्तविक हो सकते हैं और कल्पित भी।''[12]

(5) लूसी मेयर (Lucy Mair) के अनुसार—''सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों के आधार पर अनेक समूहों के रूप में एक-दूसरे के साथ बँधे रहते हैं। इन सम्बन्धों में अत्यन्त सार्वभौम एवं अत्यधिक आधारभूत सम्बन्ध वे हैं, जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की सहज मानवीय अन्तर्नोद (Drive) पर आधारित इन सम्बन्धों को नातेदारी, स्वजनता या बन्धुत्व कहा जाता है।''[13]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि नातेदारी व्यवस्था से अभिप्राय नातेदारी सम्बन्धों (दोनों रक्त एवं विवाह सम्बन्धों) द्वारा बँधे व्यक्तियों की व्यवस्था से है। परिवार, वंश, कुल, गोत्र आदि ऐसे समूहों के कुछ उदाहरण हैं। इस सन्दर्भ में **मजूमदार** (Majumdar) ने उचित ही कहा है कि सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों के आधार पर अनेक समूहों के रूप में एक-दूसरे के साथ बँधे रहते हैं। इन सम्बन्धों

7. Charles Winick, **Dictionary of Anthropology**, p. 302.
8. श्याम लाल शर्मा इन इरावती कर्वे, **भारत में बन्धुत्व संगठन**, पृष्ठ xvi.
9. रॉबिन फॉक्स, **नातेदारी एवं विवाह**, पृष्ठ 25.
10. श्यामाचरण दुबे, **मानव और संस्कृति**, पृष्ठ 123.
11. D. N. Majumdar and T. N. Madan, **An Introduction to Social Anthropology**, p. 35.
12. श्याम लाल शर्मा इन इरावती कर्वे, **भारत में बन्धुत्व संगठन**, पृष्ठ xvi.
13. लूसी मेयर, **सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका**, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ 65.

में से अत्यन्त सार्वभौम एवं अत्यधिक आधारभूत सम्बन्ध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। इन्हीं सम्बन्धों को नातेदारी व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। **रैडक्लिफ-ब्राउन** (Radcliffe-Brown) ने इस सन्दर्भ में लिखा है, ''नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश सम्बन्ध हैं जो कि सामाजिक सम्बन्धों के परम्परागत सम्बन्धों का आधार हैं।''

नातेदारी की विशेषताएँ
(Characteristics of Kinship)

नातेदारी की परिभाषाओं से इसकी कुछ विशेषताएँ भी स्पष्ट होती हैं जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं—

(1) नातेदारी व्यवस्था सार्वभौम व्यवस्था है तथा यह सर्वत्र समाजों में ही विद्यमान रही है तथा आज भी है।

(2) नातेदारी व्यवस्था में विशिष्टता पाई जाती है अर्थात् इसका स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न हो सकता है।

(3) नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार है।

(4) नातेदारी व्यवस्था सरलतम व्यवस्था है जिसे समझना एवं व्यक्त करना एक सरल कार्य है।

(5) नातेदारी व्यवस्था सरल समाजों की अपेक्षा जटिल समाजों में अधिक भिन्नता रखती है।

नातेदारी के भेद
(Types of Kinship)

नातेदारी में सामान्यत: दो प्रकार के नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है—

(1) रक्तमूलक या समरक्तीय नातेदार (Consanguineous relatives)—रक्त सम्बन्धों पर आधारित नातेदारों को रक्तमूलक नातेदार कहा जाता है। उदाहरणार्थ, माता-पिता का बच्चों से सम्बन्ध तथा बच्चों का परस्पर सम्बन्ध (जैसे भाई-बहन का सम्बन्ध) इस प्रकार के नातेदारों के प्रमुख उदाहरण हैं। समान माता-पिता के बच्चों को 'सहोदर' कहा जाता है।

(2) विवाहमूलक नातेदार (Affinal relatives)—इनमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक अथवा कानूनी दृष्टि से मानव विवाह सम्बन्धों द्वारा परस्पर सम्बन्धित होते हैं। उदाहरणार्थ, पति-पत्नी विवाह मूलक नातेदार हैं। पति और पत्नी के परिवार के अन्य सदस्य भी परस्पर विवाह सम्बन्धी ही हैं; जैसे—सास, ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साला, साली इत्यादि।

नातेदारी सम्बन्धों के आधार पर ही व्यक्ति को दो परिवारों का सदस्य माना गया है—

(1) जन्म का परिवार (Family of birth)—यह वह परिवार है जिसमें कि व्यक्ति जन्म लेता है। इसमें व्यक्ति के माता-पिता तथा भाई-बहन सम्मिलित होते हैं।

(2) जनन का परिवार (Family of generation)—यह वह परिवार है जिसमें व्यक्ति का विवाह होता है। इसमें पत्नी तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं।

डब्ल्यू० एल० वार्नर (W. L. Warner) ने मूल परिवारों को इन्हीं दो श्रेणियों में विभाजित किया है। **गिडिन्स** (Giddens) के अनुसार जन्म का परिवार वह परिवार है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है। बच्चों के लिए उसके माता-पिता का परिवार जन्म का परिवार कहा जाएगा। जिस परिवार को युवक एवं युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं उसे जनन का परिवार कहा जाता है।

नातेदारी संज्ञाएँ या शब्दावली
(Kinship Terminology)

प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार के नातेदारों को सम्बोधित करने एवं सम्बन्धों को ज्ञापित करने के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, नातेदारी पर किए गए अध्ययन विविध प्रकार की शब्दावलियों से भरे हुए हैं। **मॉर्गन** (Morgan) ने नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए शब्दावली को राजमार्ग के रूप में बताया है। प्रत्येक प्रकार के सम्बन्धी एवं प्रत्येक स्थिति के लिए विशेष संज्ञा देना कठिन है तथा संसार के किसी भी देश में ऐसा नहीं है।

नातेदारी शब्दावली की अग्रलिखित दो प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं—

(1) वर्गीकृत व्यवस्था (Classificatory system)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक सम्बन्धियों को एक ही वर्ग या श्रेणी में रख दिया जाता है और उन्हें एक ही संज्ञा से सम्बोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, कोमांचे समाज में 'पिता' शब्द का प्रयोग केवल वास्तविक पिता के लिए नहीं अपितु पिता के भाई और माता की बहन के पति के लिए भी किया जाता है। असम में सेमा नागा जनजाति के लोग 'अजा' (aja) शब्द का प्रयोग माता, पिता के भाई की पत्नी तथा माता की बहन (मौसी) आदि तीन प्रकार के अलग सम्बन्धियों को सम्बोधित करने के लिए करते हैं। कूकी जनजाति में 'हेपू' (hepu) शब्द का प्रयोग पिता के पिता (दादा), माता के पिता (नाना), माता का भाई (मामा), पत्नी के पिता (ससुर), माता के भाई के पुत्र (भानजा), पत्नी के भाई के पुत्र आदि के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में 'अंकल', 'नेफ्यू', 'कजिन' इत्यादि संज्ञाएँ इसी व्यवस्था के उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, 'अंकल' शब्द एक वर्गीकृत शब्द है जिसका प्रयोग चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ताऊ आदि सभी सम्बन्धियों के लिए किया जाता है।

(2) वर्णनात्मक या विशिष्ट व्यवस्था (Descriptive, particularizing or specific system)—इस व्यवस्था में एक प्रकार के सम्बन्धियों के लिए केवल एक विशिष्ट संज्ञा का प्रयोग ही किया जाता है अर्थात् एक शब्द एक ही सम्बन्धी का बोध कराता है। उदाहरणार्थ, पिता, माता, पुत्र, पुत्री इत्यादि इस प्रकार की शब्दावली के प्रमुख उदाहरण हैं। वर्णनात्मक नातेदारी व्यवस्था में भी कुछ नातेदारी पद ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एकाधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है; जैसे—भाई शब्द का प्रयोग सगे भाई तथा चचेरे, फुफेरे या ममेरे भाई के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त नातेदारी संज्ञाएँ किसी भी समाज में विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं। अधिकांश समाजों में दोनों ही प्रकार की संज्ञाओं का एक-साथ प्रचलन देखा जा सकता है। नातेदारी शब्दावली नातेदारों में भेद करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि अगर ऐसा न हो तो विभिन्न सम्बन्धियों में भेद करना कठिन हो जाएगा। **रिवर्स** (Rivers) के अनुसार नातेदारी शब्दावली उन सामाजिक प्रकार्यों की द्योतक है जो इन संज्ञाओं के प्रयोग से पहले भी प्रचलित थे। उदाहरणार्थ, मामा के अतिरिक्त किसी अन्य को मामा कहना उस व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को निर्दिष्ट करता है। **क्रोबर** (Kroeber) ने नातेदारी शब्दावली को परिचय का उपकरण मात्र माना है।

नातेदारी की श्रेणियाँ या अंश भेद
(Categories of Kinship)

व्यक्ति के अनेक नातेदार होते हैं तथा वह प्रत्येक नातेदार से समान सम्पर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखता है। वास्तव में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमुक नातेदार व्यक्ति से किस आधार पर सम्बन्धित है। निकटता, घनिष्ठता एवं सम्पर्क के आधार पर नातेदारों को निम्न प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चातुर्थिक तथा पाँचमिक आदि विभिन्न नातेदारी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) प्राथमिक नातेदार या सम्बन्धी (Primary relatives)—यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्षत: सम्बन्धित है, तो उसे हम प्राथमिक सम्बन्धी कहते हैं। उदाहरण के लिए, पति-पत्नी और माता-पिता एवं सन्तान परस्पर प्राथमिक रूप से सम्बन्धित हैं। किसी भी परिवार में प्राथमिक सम्बन्धी आठ प्रकार के हो सकते हैं—(i) पति-पत्नी, (ii) पिता-पुत्र, (iii) माता-पुत्री, (iv) पिता-पुत्री, (v) माता-पुत्र, (vi) ज्येष्ठ-लघु भ्राता, (vii) ज्येष्ठ-लघु-बहन तथा (viii) भ्राता-बहन। इसमें पति-पत्नी का प्राथमिक सम्बन्ध विवाह पर आधारित है, जबकि अन्य सम्बन्धियों का रक्त पर। प्राथमिक नातेदार को निम्ननिर्मित चित्र-1 एवं चित्र-2 द्वारा समझा जा सकता है—

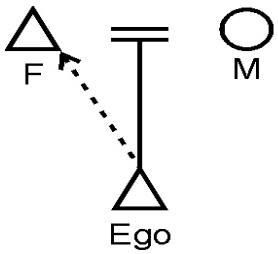

चित्र चित्र-1

अथवा

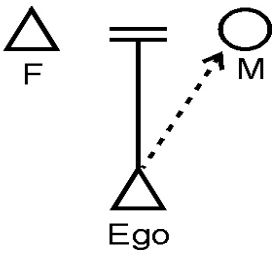

चित्र-2 चित्र-2

(2) द्वितीयक नातेदार या सम्बन्धी (Secondary relatives)—जो लोग उपर्युक्त प्राथमिक सम्बन्धियों के प्राथमिक सम्बन्धी हैं, उन्हें हम द्वितीयक सम्बन्धी कहते हैं। उदाहरण के लिए, बहन का पति बहन के लिए तो प्राथमिक है परन्तु भाई के लिए (जिसका कि वह जीजा लगा) द्वितीयक सम्बन्धी है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति का पिता उसका प्राथमिक सम्बन्धी है परन्तु दादा द्वितीयक सम्बन्धी है। बहू-सास, बहू-ससुर, देवर-भाभी, साला-जीजा, साली-जीजा, चाचा- भतीजा, मामा-भानजा इत्यादि द्वितीयक सम्बन्धियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। **मरडॉक** (Murdock) ने द्वितीयक सम्बन्धियों की संख्या 33 बताई है। द्वितीयक नातेदारों को निम्ननिर्मित चित्र-3 एवं चित्र-4 द्वारा समझा जा सकता है।

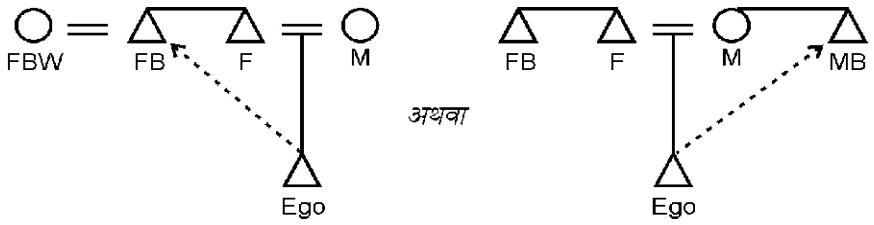

चित्र-3 चित्र-4

(3) तृतीयक नातेदार या सम्बन्धी (Tertiary relatives)—इस श्रेणी में उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो कि हमारे प्राथमिक सम्बन्धी के द्वितीयक सम्बन्धी या हमारे द्वितीयक सम्बन्धी के प्राथमिक सम्बन्धी हैं। उदाहरणार्थ, पितामह (पड़दादा) हमारा तृतीयक सम्बन्धी है क्योंकि वह हमारे प्राथमिक सम्बन्धी (पिता) का द्वितीयक सम्बन्धी है अथवा हमारे द्वितीयक सम्बन्धी (दादा) का प्राथमिक सम्बन्धी है। **मरडॉक** (Murdock) ने ऐसे सम्बन्धियों की संख्या 151 बताई है। तृतीयक नातेदार को निम्ननिर्मित चित्र-5 एवं चित्र-6 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

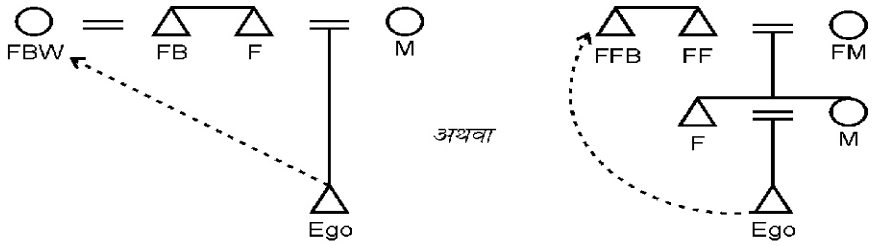

चित्र-5 चित्र-5 चित्र-6 चित्र-6

इसी प्रकार, चातुर्थिक, पाँचमिक आदि नातेदारी सम्बन्ध सूत्रों की विस्तृति सम्भव है। चूँकि व्यक्ति अधिकाशंत: अपने तृतीयक नातेदारों से ही परिचित होता है, इसलिए इन्हें ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है। चतुर्थक अथवा इससे अधिक नातेदारों की संख्या की गणना करना भी काफी कठिन है। वंशावली पद्धति द्वारा जब नातेदारी का अध्ययन किया जाता है तो उसमें नातेदारी सम्बन्ध सूत्रों की विस्तृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

नातेदारी व्यवस्था के सामाजिक प्रकार्य
(Social Functions of Kinship System)

भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके सामाजिक-व्यवस्था में योगदान का विवरण निम्न प्रकार है—

(1) सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण (Formulation of rules of social behaviour)—नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति के उन समूहों को बताती है जिनके बीच वह अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा व्यतीत करता है। उनके बीच व्यवहार के मानदण्ड नातेदारी व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। सामाजिक जीवन में तीन ऐसे विशिष्ट अवसर हैं जिन पर ऐसे व्यवहार प्रतिमान विशेष रूप से

क्रियाशील होते हैं—(i) जीवन चक्र सम्बन्धी संस्कार; जैसे—जन्म, विद्यारम्भ, विवाह, व्यापार आरम्भ, मृत्यु आदि; (ii) दाय या उत्तराधिकार का निर्धारण करते समय तथा (iii) खेती या व्यापार में विशेष अवसरों पर।

(2) सामाजिक व्यवहार का नियमन (Regulation of social behaviour)—व्यक्ति के आचरण पर नियन्त्रण रखने में नातेदारी समूह की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एक विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट नातेदार की भूमिका को अन्य नातेदार बड़े ध्यान से देखते हैं और उसकी प्रशंसा व आलोचना करते हैं। इसलिए व्यक्ति से जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए स्वयं को बाध्य महसूस करता है। साधारणत: हर व्यक्ति इस बात की चिन्ता करता है कि उसके किसी आचरण पर दुनिया क्या कहेगी और दुनिया से उसका आशय अधिकांशत: अपने नातेदारी समूह से ही होता है। इस भाँति, नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवहारों को समाज के आदर्शों के अनुरूप बनाए रखने में योगदान देती है।

(3) सामाजिक-सांस्कृतिक निरन्तरता बनाए रखना (To maintain socio-cultural continuity)—नातेदारी व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति एक-दूसरे के नजदीक अनुभव करते हैं इसलिए वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज के व्यवहार, आदर्श और सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी में हस्तान्तरित होते रहें। सम्भवत: इसी उद्देश्य को लेकर समाज ने नातेदारी को व्यक्ति के जीवन की दो महत्त्वपूर्ण घटनाओं से विशेष रूप से जोड़ा है—विवाह एवं उत्तराधिकार। **श्याम लाल शर्मा** ने उचित ही लिखा है कि, ''सामाजिक-सांस्कृतिक निरन्तरता बनाए रखने में बन्धुत्व की भूमिका परम महत्त्वपूर्ण है।''[14]

(4) सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना (To provide help and security)—नातेदारी व्यवस्था जीवन के विशेष अवसरों पर सामाजिक सहायता का काम करती है; जैसे—लड़की के विवाह के समय उत्तरी क्षेत्र में कुछ जातियों में मामा को 'भात' देना पड़ता है। इससे उस समय कुछ सहायता मिल जाती है। इसी भाँति, जीवन के जोखिमों; जैसे—बुढ़ापा, वैधव्य, दुर्घटना, बीमारी, बेकारी—के विरुद्ध भी नातेदारी व्यवस्था सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कोई बालक अनाथ रह जाए तो भारतीय समाज में सबसे पहले उसके नातेदारों से ही यह अपेक्षा की जाएगी की वे उसकी देखभाल करें और साधारणत: व्यक्ति ऐसा करते भी हैं।

(5) अलगाव की भावना से सुरक्षा (Security against the feeling of alienation)—व्यक्ति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति के मन में एकाकीपन या अलगाव की भावना उत्पन्न नहीं होने देती। यह व्यवस्था उसके अपने 'स्वजनों का दायरा' व्यापक कर देती है। उसे शक्ति का अहसास होता है और वह अपने स्वजनों पर गर्व का अनुभव करता है क्योंकि उसकी अस्मिता भी बहुत कुछ उसके नातेदारों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित होती है।

अन्त में, हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि नातेदारी व्यवस्था पूर्व-औद्योगिक समाजों में अधिक महत्त्वपूर्ण होती है परन्तु ज्यों-ज्यों समाज आधुनिक होता जाता है, औद्योगिक होता जाता है, नातेदारी की भूमिका की महत्ता का ह्रास होता जाता है। **टी० बी० बॉटोमोर** (T. B. Bottomore) के निम्न विचारों से हम पूर्णत: सहमत हैं कि, ''यह सत्य ही है कि नातेदारी व परिवार संरचना आधुनिक समाजों की सामाजिक संरचना पर कोई आधारभूत प्रभाव नहीं डालती है।''[15] परन्तु भारतीय समाज अभी न तो पूर्णत: आधुनिक है और न पिछड़ा हुआ ही, यह एक विकासोन्मुख समाज है। जाति और परिवार की संयुक्तता की भावना अभी जहाँ क्रियाशील है। इसलिए नातेदारी व्यवस्था के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता।

---

14. श्याम लाल शर्मा इन इरावती कर्वे, **भारत में बन्धुत्व संगठन**, पृष्ठ xvi.
15. T. B. Bottomore, **Sociology : A Guide to Problems and Literature**, p. 173.